



2026:AHc:17535

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 936 वर्ष 2026

आवेदक :-समरजीत सिंह

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, प्रतिभा सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : अक्षत सिन्हा, जी.ए., हिमांशु पाण्डेय

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा सिंह, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षत सिन्हा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - पिपरी, जनपद - कौशाम्बी के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 171 वर्ष 2025, धारा 115(2), 351(3), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक के उकसाने पर सह-अभियुक्त रूपेश सिंह द्वारा दिनांक 25.07.2025 को सायं लगभग 5:00 बजे शिकायतकर्ता के पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की बात कही गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग छह घंटे विलंब से दर्ज की गई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक पर केवल उकसाने की भूमिका का आरोप लगाया गया है, यद्यपि मृतक पर गोली चलाने वाला व्यक्ति आवेदक का पुत्र है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 26.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक मुख्य अभियुक्तों में से एक है, क्योंकि उसके उकसाने पर ही सह-अभियुक्त रूपेश ने हत्या कारित की है। आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है जिसमें आवेदक को उकसाने की भूमिका सौंपी गई है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा एफ.आई.आर. में हुए विलंब एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की भूमिका केवल उकसाने की है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मत है कि आवेदक ने जमानत का आधार बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **समरजीत सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगी/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।